न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00022

1. प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 श्री अर्जुन सिंह (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. भीमसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद सिंह उम्र 40 वर्ष ।
   1/2. भगवान सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद सिंह उम्र 35 वर्ष ।
   1/3. रघुराज सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद सिंह उम्र 30 वर्ष जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बम्बोली तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. मोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत ।
3. हिम्मत सिंह पुत्र स्व0 श्री अर्जन सिंह जाति राजपूत ।
4. भारत सिंह पुत्र स्व0 श्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत ।
5. गजेन्द्र सिंह उर्फ बनेसिंह आत्मज श्री जयसिंह जाति राजपूत ।
6. विजय सिंह आत्मज स्व0 श्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बम्बोली तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. अनोखबाई पुत्री स्व0 श्री फेकसिंह पत्नी श्री करण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बम्बोली हाल निवासी खेडली फाटक पानी की टंकी के पास, कोटा ।
2. मुकेश कुमार आत्मज श्री सीताराम जाति कहार निवासी वार्ड संख्या 17 तलाईपाडा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बम्बोली तहसील दीगोद में कुल 06 किता की रकबा 3.37 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का पिछले 50–60 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रार्थीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके हैं । अप्रार्थी कम 01 के मन में बदनियति आ जाने के कारण उक्त आराजी को दिनांक 06.02.2012 को प्रतिवादी कम 02 को बेचान कर दिया । उक्त बेचान के आधार पर यदि वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें । भूमि को अन्यत्र रहन, बेचान या खुर्द–बुर्द नहीं करें, प्रार्थी की काश्त व्यवस्था में किसी प्रकार की मदाखलत नहीं करें ।

4. अप्रार्थी कम 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.11.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2019 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट के द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में एफआईआर पुलिस थाना कैथून एवं अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलान्ट का कब्जा काश्त नहीं मानने में कानूनी त्रुटि की है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । रेस्पोडेन्ट कम 01 के द्वारा अपने हिस्से से भी अधिक भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट कम 02 को कर दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में धारा 88, 89 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा प्रस्तुत किया था जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसमें कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है । जोरावर सिंह जी के 04 पुत्र थे । मोती सिंह, अर्जुन सिंह, फेकसिंह और इन्द्रसिंह । फेक सिंह के कोई पुत्र नहीं था उनके इकलौती पुत्री अनोख बाई थी । फेकसिंह के पगडी दस्तूर अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया । इस प्रकार इस आराजी पर 50–60 वर्षों से अधिक समय से अपीलान्टगण जो कि अर्जुन सिंह के वारिस हैं का कब्जा चला आ रहा है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण इसके खातेदार हो चुके हैं । पैतृक आराजी कुल 70 बीघा 02 बिस्वा आराजी थी जिसमें से 1/4 हिस्सा आराजी लगभग साढे 17 बीघा होता है जबकि रेस्पोडेन्ट के खाते में 21 बीघा आराजी दर्ज की गई है । गलत हिस्सा दर्ज हो जाने से अधिक आराजी का बेचान किया गया है । सेटलमेंट अधिकारियों से मिलकर रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने यह आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली और बाद में रेस्पोडेन्ट क्रम 02 को बेचार कर दी है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2019 बहाल रखा जावे ।

10. अपीलान्ट ने अपील में अपील के साथ एफ0आई0आर0 की फोटो प्रति, नकल मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति एवं फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2013–32 पेश की है जिसके अनुसार मोती सिंह, इन्द्रसिंह, अर्जुन सिंह और फेक सिंह कुल 13 किता की 70 बीघा 02 बिस्वा आराजी के खातेदार हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 06 किता की 3.37 हैक्टर आराजी अनोख बाई के खाते में दर्ज है और उसमें नामान्तरकरण संख्या 382 का नोट अंकित है जिसके अनुसार विक्रय के आधार पर आराजी मुकेश पुत्र सीताराम के खाते दर्ज हुई ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 06 किता की 3.37 हैक्टर अनोख बाई के खाते में दर्ज है और उसमें नामान्तरकरण संख्या 382 का नोट दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है । इसके अलावा खाता संख्या 59 संवत् 2013–32 की फोटो प्रति भी संलग्न है ।

12. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 06 किता की 3.37 हैक्टर अनोख बाई के खाते में दर्ज है और अनोख बाई के द्वारा किये गये विक्रय के आधार पर यह आराजी मुकेश रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के खाते में दर्ज है । रेस्पोडेन्ट क्रम 02 वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । अपीलान्ट इस आराजी पर अपना कब्जा बताते हैं परन्तु अपने पुराने कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि फेक सिंह के पगडी दस्तूर भी अर्जुन सिह के बंधा था परन्तु इस

आधार पर अर्जुन सिंह को फेक सिंह का गोदपुत्र नहीं माना जा सकता । पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और अपीलान्ट इस पर अपना कब्जा सिद्ध नहीं कर पाये हैं । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में तय नहीं पाया जाता है न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2019 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा